

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 10.11.2022 जनपद देवरिया

थाना तरकुलवा पुलिस द्वारा 25000 रू0 इनामिया अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना तरकुलवा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-194/2022 धारा- 420,467,468,471 भादवि व 12(1)(B) पासपोर्ट अधिनियम में जनपद देवरिया से सम्बन्धित वाँछित अभियुक्त दीपक सिंह उर्फ दीपू सिंह पुत्र उपेन्द्र सिंह निवासी कुसम्हा थाना मदनपुर जनपद देवरिया, जो जनपद देवरिया से 25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित अभियुक्त है। जिसकी विवेचना व0उ0नि0 रामसहाय यादव तरकुलवा द्वारा की जा रही है। जो दिनांक 17.07.2022 से फरार चल रहा था। जिसे कल दिनांक 09.11.2022 को व0उ0नि0 रामसहाय यादव व आरक्षी रामआशीष यादव द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर कोन्हवलिया मोड़ के पास से अभियुक्त दीपक सिंह उर्फ दीपू सिंह उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया। उक्त अभियुक्त के विरुद्ध जघन्य अपराध सम्बन्धित अभियोग पंजीकृत है। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01. दीपक सिंह उर्फ दीपू सिंह पुत्र उपेन्द्र सिंह निवासी कुसम्हा थाना तरकुलवा जनपद देवरिया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास:-

01. 194/2022 धारा- 420,467,468,471 भादवि व 12(1)(B) पासपोर्ट अधिनियम

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

01. व0उ0नि0 रामसहाय यादव थाना तरकुलवा जनपद देवरिया

02. आरक्षी रामआशीष यादव थाना तरकुलवा जनपद देवरिया